

विधान परिषद् के प्रथम सत्र-2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, माओ सदस्य,
विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर

प्रश्न

उत्तर

3 (क) क्या उप मुख्यमंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में दिनांक 31 मार्च, 2005 से पूर्व नियुक्त किये गये माध्यमिक शिक्षकों को प्रबन्धतंत्र की शिथिलता, प्रशासनिक कमी व जटिल समायोजन प्रक्रिया के कारण दिनांक 31 मार्च, 2005 के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कर सके, इन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन के जारी पत्र संख्या-57/04/2019-PPW(B) Government of India, Department of Pensi and PW date 17-02-2020 के क्रम में केन्द्रीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश में ऐसे पीडित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प प्रदान किया जायेगा ?

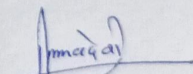
जी नहीं।

(ख) यदि हों, तो कब तक ?

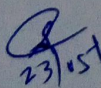
प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा विभाग में दिनांक 31.03.2005 के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक एवं कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28.03.2005 से आच्छादित हैं।


(गुलाब देवी)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री।


23/05/2022